# <u>कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी (म.प्र.)</u>

## ।। <u>संशोधित कार्य–विभाजन आदेश</u> ।।

**कमांक/**274**/S.W./एक–5–1/2005–26** **बड़वानी, दिनांक** 22 **/** 04 **/2026**

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेश कमांक 327/गोपनीय/2026 दिनांक 03.04.2026 के द्वारा जिला मुख्यालय बड़वानी पर पदस्थ द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का स्थानानंतरण जिला स्थापना सतना की तहसील अमरपाटन पर हुआ होने एवं उनके स्थान पर अन्य किसी न्यायिक अधिकारी की पदस्थापना नहीं होने के फलस्वरूप एवं इस न्यायिक जिला बड़वानी में पदस्थ न्यायाधीशगण के मध्य सिविल एवं दाण्डिक कार्यो के संपादन के संबंध में अन्य आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु, मैं, **महेन्द्र कुमार जैन**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला–बड़वानी व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21(4) एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–8(7), 8(8), 214, 422(2) एवं 441 के तहत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2026 हेतु जारी इस कार्यालय के कार्य विभाजन आदेश क. 113/एस.डब्लू/दिनांक 14.02.2026 एवं संशोधन आदेश क. 120/एस.डब्लू/दिनांक 17.02.2026 मे निम्नानुसार संशोधन करता हूं, इस कार्य विभाजन के प्रभावशील होने के पूर्व जो कार्य एवं प्रकरण जिस न्यायालय के न्यायाधीशों के पास लंबित है या प्रस्तुत किया गया है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा :–

**1–** कार्य विभाजन आदेश कमांक 113 दिनांक 14.02.2026 के कॉलम कमांक 1 के अनुकमांक 4 में उल्लेखित न्यायालय, ''न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी'' को विलोपित किया जाता है।

**2–** विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत बड़वानी के समस्त क्षेत्र (सेंधवा, अंजड़ एवं राजपुर विद्युत क्षेत्र को छोडकर) संबंधी विशेष प्रकरणों के क्षेत्राधिकार के संबंध में अधिसूचना जारी होने तक उक्त प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाहियों (वर्तमान/ पूर्व सांसदों/विधायकों के विरूद्ध अपराधों को छोडकर) हेतु प्रभार न्यायालय की हैसियत से कार्य संपादन हेतु प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को अधिकृत करता हूं ।

**3–** कार्य विभाजन आदेश कमांक 113 दिनांक 14.02.2026 के कॉलम कमांक 1 के अनुकमांक 6 ''न्यायालय प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा'' के कॉलम 4 की कंडिका क. '3' व '4' एवं ''नोट ए'' को विलोपित किया जाता है।

**4–** कार्य विभाजन आदेश कमांक 113 दिनांक 14.02.2026 के कॉलम क. 1 के अनुकमांक 7– न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा तथा अनुकमांक 8– तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा के संबंध में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूँ,

| क | न्यायालय | क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार | संहिता/प्रकरण/आवेदन |
|---|---|---|---|
| 7. | **न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा** | **तहसील सेंधवा, वरला** | **<u>व्यवहार प्रकरण :–</u>**<br>**1. मूल सांपत्तिक वाद** 1,00,00,001 रूपये से अन्यून मूल्यांकन के प्रकरण ।<br>**2. लघुवाद प्रकरण** 501 रूपये से अधिक एवं 1000 रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **तहसील सेंधवा, वरला, पानसेमल एवं निवाली** | **3. धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत** 1,00,00,001 रूपये से अन्यून मूल्यांकन के प्रकरण ।<br>**4. प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसॉल्वेंसी) प्रकरण** 1,00,00,001 रूपये से अन्यून मूल्यांकन के ।<br>**5. ऑर्बीट्रेशन एक्ट** (मध्यस्थता प्राधिकरण के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों को छोड़कर) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण<br>**6. हिंदू विवाह अधिनियम 1955** के तहत आवेदन पत्र।<br>**7. भारतीय विवाह** विच्छेद अधिनियम के तहत आवेदन पत्र<br>**8. भारतीय ट्रेड मार्क** एवं **ट्रस्ट एक्ट** के तहत आवेदनपत्र<br>**9. भूमि अधिग्रहण अधिनियम** के तहत प्रकरण ।<br>**10. सिविल न्याय पंचायत, रिव्हीजन, म.प्र. शेड्यूल ट्राईब डेब्ट रिलीफ रेग्यूलेशन एक्ट एवं नगर पालिका विधान** के तहत प्रस्तुत होने वाले पुनरीक्षण प्रकरण ।<br>**11. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 20** के तहत प्रस्तुत चुनाव याचिका । |
| | | | **12. मूल सिविल एवं विविध सिविल अपीलें–**<br>➔ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सेंधवा/ग्राम न्यायालय सेंधवा<br>➔ स्थानीय अथॉरिटी द्वारा पारित निर्णय, जयपत्र एवं आदेशों के विरूद्ध ।<br>**13. मोटर व्हीकल एक्ट** के तहत **तहसील सेंधवा शहर, वरला** क्षेत्र के अंतर्गत घटित दुर्घटना अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के निवास होने से उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समस्त प्रकरण।<br>**14. दीवानी प्रकरण एवं अन्य कार्य –** प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेशों के द्वारा अन्तरित ।<br>**15. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्‌भूत ।<br>**<u>आपराधिक प्रकरण :–</u>**<br>**16.** सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं एवं अन्य दाण्डिक प्रकरण।<br>**17. विद्युत अधिनियम, 2003** के तहत सेंधवा, अंजड़ एवं राजपुर विद्युत क्षेत्र संबंधी विशेष प्रकरणों संबंधी समस्त कार्यवाही। (वर्तमान/पूर्व सांसद/विधायकों के विरूद्ध अपराधों को छोड़कर)। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **18. निक्षेपो के हितो का संरक्षण अधिनियम** के अधीन तहसील सत्र खण्ड सेंधवा के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलें प्रस्तुत होंगे। इस संबंध में अधिसूचना दिनांक 14.10.19 अवलोकनीय है।<br>**19.** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा (**व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सेंधवा)** व न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सेंधवा एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया (**व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड खेतिया**) के निर्णयों एवं आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत आपराधिक अपील व पुनरीक्षण प्रकरण<br>**20. कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सेंधवा एवं वरला** के आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत दांडिक पुनरीक्षण याचिका ।<br>**21. आरक्षी केंद्र सेंधवा शहर, वरला एवं खेतिया, आबकारी वृत्त सेंधवा एवं वन वृत्त सेंधवा** से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 के जमानत आवेदन पत्र।<br>**22. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉ** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्‌भूत।<br>**23.** ऐसे आपराधिक सत्र प्रकरण/विशेष प्रकरण/जमानत आवेदन पत्र जो सत्र खण्ड सेंधवा में अन्य किसी अधिनियम से उद्‌भुत होते है एवं जिनका इस कार्य विभाजन पत्रक में उल्लेख नहीं है।<br><br><u>**नोट**</u> :– आपराधिक अपील व पुनरीक्षण याचिकाओं को प्राप्त कर सुनवाई करेंगे एवं उन्हें पंजीयन व आगामी कार्यवाही हेतु सत्र न्यायालय को भेजेंगे। |
| **8-** | **न्यायालय तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा** | **तहसील पानसेमल निवाली** | <u>**व्यवहार प्रकरण :–**</u><br>**1. मूल सांपत्तिक वाद** 1,00,00,001 रूपये से अन्यून मूल्यांकन के प्रकरण ।<br>**2. लघुवाद प्रकरण** 501 रूपये से अधिक एवं 1000 रूपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण । |
| | | **तहसील सेंधवा, वरला, पानसेमल एवं निवाली** | **3. प्रोबेट आवेदन, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम** के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।<br>**4. इंडियन गार्जियन एंड वॉड्‌र्स एक्ट** के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। |
| | | | **5. मूल सिविल एवं विविध सिविल अपीलें–**<br>– व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सेंधवा<br>– व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खेतिया के द्वारा पारित निर्णय, जयपत्र एवं आदेशों के विरूद्ध ।<br>**6. मोटर व्हीकल एक्ट** के तहत तहसील पानसेमल, निवाली एवं आरक्षी केन्द्र सेंधवा ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत घटित दुर्घटना अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के निवास |

होने से उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समस्त प्रकरण।

**7. दीवानी प्रकरण एवं अन्य कार्य –** प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेशों के द्वारा अन्तरित।

**8. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्‌भूत ।

**<u>आपराधिक प्रकरण :–</u>**

**9. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले** सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं एवं अन्य दाण्डिक प्रकरण।

**10. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा (व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सेंधवा)** के निर्णयों एवं आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत आपराधिक अपीलें व पुनरीक्षण याचिकाएं

**11. कार्यपालिक मजिस्ट्रेट पानसेमल** के आदेशों के विरूद्ध दांडिक पुनरीक्षण याचिका ।

**12. आरक्षी केंद्र सेंधवा ग्रामीण, पानसेमल, निवाली, आबकारी वृत्त खेतिया** से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 के जमानत आवेदन पत्र।

**13. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं महिलाओं के विरूद्ध अन्य अपराध (OAW)** जैसे बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार के साथ हत्या एवं अन्य अपराध से उद्‌भूत प्रकरण (पुलिस आरक्षी केन्द्र सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण, वरला, पानसेमल, निवाली, खेतिया की स्थानीय सीमाओं से उत्पन्न अपराध)

**14. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं** इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्‌भूत।

**<u>नोट</u>** :– आपराधिक अपील व पुनरीक्षण याचिकाओं को प्राप्त कर सुनवाई करेंगे एवं उन्हें पंजीयन व आगामी कार्यवाही हेतु सत्र न्यायालय को भेजेंगे।

**5–** कार्यविभाजन आदेश क. 113 के आवश्यक निर्देश की कंडिका क. 5 में रिक्त न्यायालयों के द्वारा निराकृत किए गए प्रकरणों में पश्चात कार्यवाही हेतु अधिकृत न्यायालय की सारणी में कंडिका क. 1 व 2 के कॉलम कमांक 2 में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश के स्थान पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेंधवा प्रतिस्थापित कर तथा कंडिका क. 12 के पश्चात कंडिका क. 13 जोड़ी जाकर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

| क्र. | वर्तमान में रिक्त न्यायालय | वर्तमान में अधिकृत न्यायालय |
|---|---|---|
| 1- | प्रथम एवं द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी लिंक न्यायालय सेंधवा | द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सेंधवा |
| 2- | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सेंधवा/सदस्य, अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सेंधवा | द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सेंधवा |
| 3- | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड बड़वानी | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी |
| 4- | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश बड़वानी के तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ बड़वानी | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड बड़वानी |
| 5- | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश बड़वानी के चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड बड़वानी | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी |
| 6- | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बड़वानी | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी |
| 7= | अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सेंधवा | व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, सेंधवा |
| 8- | व्य.न्या. कनिष्ठ खंड सेंधवा के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश सेंधवा | व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, सेंधवा |
| 9- | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बड़वानी के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड खेतिया | व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, सेंधवा |
| 10- | व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड/अतिरिक्त न्यायाधीश अंजड़ | व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, अंजड़ के अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, अंजड़ |
| 11- | अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, राजपुर | व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड राजपुर |
| 12- | व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के अतिरिक्त न्यायाधीश खेतिया (प्रशिक्षु न्यायाधीश) | व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, खेतिया |
| 13- | द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी/ सदस्य, द्वितीय अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बड़वानी | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी / सदस्य, प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बड़वानी |

**6—** कार्य विभाजन आदेश क्र. 113 के बिन्दु ''न्यायालय के रिक्त होने पर या अवकाश–प्रभार'' के अनुक्रमांक 5 को विलोपित किया जाकर निम्नानुसार आवश्यक संशोधन किया जाता है, साथ ही अनुक्रमांक 6 लगायत 21 को 5 लगायत 20 संशोधित किया जाता है।

| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी** | | विशेष न्यायाधीश (एस. सी.एस.टी) बड़वानी | प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी | तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी | द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा |
| 2 | **परिवार न्यायालय बड़वानी** | | विशेष न्यायाधीश (एस. सी.एस.टी.) बडवानी | प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बडवानी | तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बडवानी |
| 3 | **विशेष न्यायाधीश बड़वानी** | | प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बडवानी | तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी | द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा |
| 4 | **प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी** | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्य | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी | विशेष न्यायाधीश (एस. सी.एस.टी.) बडवानी | तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी | द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा |
| | | शेष समस्त कार्य | तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी | विशेष न्यायाधीश (एस. सी.एस.टी.) बडवानी | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी | द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा |
| 5 | **तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी** | लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि., 2012 के तहत कार्य | प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी | विशेष न्यायाधीश (एस. सी.एस.टी.) बडवानी | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बडवानी | द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा |
| | | शेष समस्त कार्य | प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी | विशेष न्यायाधीश (एस. सी.एस.टी.) बडवानी | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी | द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा |

22/4/2026

**(महेन्द्र कुमार जैन)**
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)

पृ.क./ 1253 /एक–5–1/2005–25 बड़वानी, दिनांक 22/04/2026

**प्रतिलिपि** :–

01– प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बडवानी।

02– विशेष न्यायाधीश, बड़वानी।

03– प्रथम /तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी

04– प्रथम / द्वितीय/तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा।

05– प्रथम /द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बड़वानी ।

06– व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, अंजड़ / राजपुर /सेंधवा।

07– प्रथम / तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी ।

08– व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, अंजड़/ खेतिया।

09– अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, राजपुर / सेंधवा

10– प्रभारी अधिकारी, फाईलिंग काउंटर, कम्प्यूटर अनुभाग, बड़वानी।

11– अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बड़वानी/अंजड़/राजपुर/सेंधवा/खेतिया।
की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

12– प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

13– प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी की ओर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी के समक्ष रखा जाने हेतु प्रेषित।

22/04/26

**प्रशासनिक अधिकारी**
**कार्या: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,**
**बड़वानी (म.प्र.)**